...लय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

वाद, ...र्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
01/19 ~~[illegible]~~	136 LRACT	मानपुरा	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
मडडूलाल	बनाम	तहसीलदार छबड़ा

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
2/1/19	वकील वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 136 LRACT विरूद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में पेश किया रिपोर्ट ... का अवलोकन किया प्रकरण दर्ज रजिस्टर ... सम्मन प्रतिवादी ... तलब कर प्रकरण दिनांक 13/2/19 को पेश हो।	
13/2/19	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 11-3-19 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
11/3/19	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 9/4/019 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
9/4/019	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार से रिपोर्ट ली जावे। वास्ते रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 14/5/019 को पेश हो।	
14/5/019	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार से रिपोर्ट ली जावे वास्ते रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 25/6/019 को पेश हो।	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
25/6/019	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 10/7/019 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),
10/7/019	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 7/8/019 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),
7/8/19	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 21.8.19 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),
7/7/20	कोरोना संक्रमण ~~आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने~~ के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 7-8-20 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),
7/8/20	कोरोना संक्रमण आज ~~पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने~~ के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 14-12-20 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),
10/5/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण में निस्तारण तहसीलदार द्वारा किये जा चुके हैं प्रकरण में उक्त कार्यालय से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।